

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 48/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय  
19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. राकेश कुमार मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, जाति मीणा, निवासी वार्ड नं. 09, लेट का बास, जयपुर (राज.)
2. भंवरलाल मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा, जाति मीणा, निवासी शर्मा कॉलोनी, मीणों का मौहल्ला, रानी बाजार, बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर (राज.) 334001
3. भंवरलाल मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा, जाति मीणा, निवासी मीणों का मौहल्ला, खटून्दरा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.)
4. मन्जू पत्नि भंवरलाल मीणा, जाति मीणा, निवासी शर्मा कॉलोनी, मीणों का मौहल्ला, रानी बाजार, बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर (राज.) 334001

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of  
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 11 नवंबर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः राकेश कुमार मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, भंवरलाल मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा, भंवरलाल मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा एवं मन्जू पत्नि भंवरलाल मीणा की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी भंवरलाल मीणा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 102, मीणों का मौहल्ला, खटून्दरा, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 495 वर्गमीटर है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में सुखदेव पुत्र बलदेव मीणा की गुवाड़ी, उत्तर दिशा में गणपत पुत्र रणजीत मीणा की गुवाड़ी एवं दक्षिण दिशा में काना शिवपाल पुत्रगण जगना मीणा का बाड़ा है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 9,00,000/— रुपये (अक्षरे रुपये नौ लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असाफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and



Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री नेमीचन्द पूनिया उपस्थित हुए परन्तु ऋण पुनर्भुगतान से संबंधित कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.01.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **राकेश कुमार मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, भंवरलाल मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा, भंवरलाल मीणा पुत्र नेमीचंद मीणा एवं मन्जू पत्नि भंवरलाल मीणा** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **भंवरलाल मीणा** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 102, मीणों का मौहल्ला, खट्टून्दरा, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 495 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में सुखदेव पुत्र बलदेव मीणा की गुवाड़ी, उत्तर दिशा में गणपत पुत्र रणजीत मीणा की गुवाड़ी एवं दक्षिण दिशा में काना, शिवपाल पुत्रगण जगना मीणा का बाड़ा है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **11 नवंबर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर